भारत निर्वाचन आयोग

पीठासीन अधिकारियों की विवरणिका

(ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट के प्रयोग के सम्बन्ध में)

(दिसम्बर, 2023)

ई0वी0एम0 वितरण दिवस पर प्रारंभिक चेकिंग:

1– बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वी0वी0पैट को संबंधित कैरिंग केस से सावधानी पूर्वक हटा दें।

2– ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट में क्या चेक करना है?

बैलेट यूनिट (**BU**)

- बैलेट यूनिट के एड्रेस टैग से यह सुनिश्चित कर लें कि बैलेट यूनिट आपके लिए नियत किए गए मतदेय स्थल से संबंधित है।
- **BU** की पिंक पेपर सील सुरक्षित हैं।
- मतपत्र ठीक से लगा हुआ है।
- **NOTA** (उम्मीदवार ब्लू बटन) तक के मतदान बटन मतदान करने हेतु खुले हुए हैं तथा शेष बन्द हैं।

कंट्रोल यूनिट (**CU**)

- कंट्रोल यूनिट के एड्रेस टैग से यह सुनिश्चित कर लें कि कंट्रोल यूनिट आपके लिए निर्दिष्ट किए गए मतदेय स्थल से संबंधित है।
- सी0यू0 की पिंक पेपर सील सुरक्षित हैं।
- बैटरी की स्थिति और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या की जांच करने के लिए **CU** को बिना **BU** और **VVPAT** से कनेक्ट किए स्विच ऑन करें। इसके बाद **CU** को स्विच ऑफ कर दें।

वी0वी0पैट (**VVPAT**)

- **VVPAT** के एड्रेस टैग से यह सुनिश्चित कर लें कि **VVPAT** आपके लिए निर्दिष्ट किए गए मतदेय स्थल से संबंधित है।
- पावर पैक (बैटरी) लगी हुई है।
- **VVPAT** को परिवहन करते समय नॉब क्षैतिज (यथा–परिवहन)/ऑफ मोड में रखें तथा मॉकपोल शुरू करने से पूर्व **VVPAT** के नॉब को ऊर्ध्वाधर (यथा–वर्किंग)/ऑन मोड में रखें।

3. क्या नहीं करना है?

1. वितरण के दौरान बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और **VVPAT** को न जोड़ें।
2. केवल बैटरी का प्रतिशत व प्रत्याशियों की संख्या चेक करने हेतु **CU** का स्वीच ऑन करें।
3. जांच के बाद **BU**, **CU** और **VVPAT** को उनसे संबंधित कैरिंग केस के बाहर न रखें।
4. ई0वी0एम0 और वी0वी0पैट को किसी भी अनधिकृत स्थान जैसे आवास, होटल आदि में न ले जाएं।

5. बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और **VVPAT** से किसी भी सील को न हटाएं एवं न ही क्षतिग्रस्त करें।
6. प्रस्थान के लिए अधिकृत वाहन के अलावा अन्य किसी वाहन का उपयोग न करें।
7. खुली खिड़की या दरवाजे के पास वोटिंग कम्पार्टमेंट स्थापित न करें।
8. तेज रौशनी (हाईलोजन बल्ब)/प्रकाश के ठीक नीचे वोटिंग कम्पार्टमेंट स्थापित न करें।

मतदेय स्थल पर मॉक पोल शुरू होने से पहले बी0यू, सी0यू0, वी0वी0पैट की सेटिंग–

1. बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वी0वी0पैट को संबंधित कैरिंग केस से सावधानी पूर्वक हटा दें।
2. वोटिंग कम्पार्टमेंट में बैलेट यूनिट और वी0वी0पैट रखें। वी0वी0पैट बैलेट यूनिट के बाईं ओर होना चाहिए।
3. पीठासीन/मतदान अधिकारी (**CU** के प्रभारी) की मेज पर कंट्रोल यूनिट रखें, ताकि कंट्रोल यूनिट स्थापित होने/मॉक पोल के बाद स्थानांतरित न किया जाए।

4. बैलेट यूनिट के केबल को वी0वी0पैट के साथ और वी0वी0पैट के केबल को कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्टर के लैचेस को दबाए बिना जोड़ें।

5. कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑन करने से पहले वी0वी0पैट का पेपर रोल नॉब अन–लॉक करें (वर्किंग पोजीशन यथा–ऊर्ध्वाधर स्थिति में लाएं)

7. क्या नहीं करना है?

- केबल का उपयोग करके ई0वी0एम0 और वी0वी0पैट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते समय **CU** को ऑन न रखें।
- केबल कनेक्ट करते समय कनेक्टर के दोनों लैचेस न दबाएं।
- कनेक्टर के दोनों साइड लैच दबाए बिना केबल डिस्कनेक्ट न करें।
- **CU** ऑन करने से पहले वी0वी0पैट नॉब को ऊर्ध्वाधर स्थिति (यानी वर्किंग मोड) में रखना न भूलें।
- बैलेट यूनिट के दाईं ओर वी0वी0पैट न रखें।

मॉक पोल का आयोजन–

मॉक पोल निर्धारित वास्तविक मतदान समय से 90 मिनट पहले आयोजित किया जाना चाहिए। यदि एक या कोई पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है, तो मॉक पोल शुरू करने के लिए 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें।

1. दिखाएं कि वी0वी0पैट पर्ची का कम्पार्टमेंट खाली है तत्पश्चात् वी0वी0पैट के पिछले हिस्से में लगे नॉब को उर्ध्वाधर/ऑन स्थिति में करें उसके बाद ही **CU** का स्विच ऑन करें।
2. **TOTAL** बटन दबाएं और **CU** में ''शून्य'' वोट दिखाएं।
3. प्रत्याशियों एवं नोटा को लेकर कम से कम 50 वोट मॉकपोल हेतु डालें और नोटा सहित प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए वोटों की संख्या को कागज पर मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड करें।
4. मॉक पोल वोटों के बाद, **CU** का **CLOSE** बटन दबाएं।
5. इसके बाद, मॉक पोल परिणाम का पता लगाने और मैन्युअल रिकॉर्ड के साथ मिलान करने के लिए सीयू का **RESULT** बटन दबाएं।
6. वी0वी0पैट कम्पार्टमेंट से मॉक पोल वी0वी0पैट पर्चियों को हटा दें और **CU** में दिखाये गये परिणाम के साथ वी0वी0पैट पर्चियों का मिलान करें।
7. मॉक पोल केवल तभी होता है जब ऊपर 5 और 6 दोनों संतुष्ट हों।
8. मॉक पोल सर्टिफिकेट (पीठासीन अधिकारी की रिपोर्टः भाग–1) को ध्यान से भरें। इस पर सभी मतदान अधिकारियों और मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

9. **CU** से मॉक पोल परिणाम को साफ करने के लिए सी0यू0 का **CLEAR** बटन दबाएं और पोलिंग एजेंटों को ''शून्य'' वोट दिखाएं।

10 वी0वी0पैट पर्चियों पर ''मॉक पोल स्लिप'' की स्टैम्प लगायी जायेगी।

11. मॉक पोल वी0वी0पैट पर्चियों को काले लिफाफे में रखें और फिर पिंक पेपर सील के साथ सील करें।

12. सी0यू0 बंद कर दें।

13. मतदान एजेंटों को वी0वी0पैट का खाली ड्रॉप बॉक्स दिखाएं।

<u>मॉक पोल के लिए प्रतिस्थापन प्रोटोकॉल</u>: बी0यू0, सी0यू0 और वी0वी0पैट के लिए सभी ''त्रुटि'' मैसेज केवल सी0यू0 पर प्रदर्शित होती है/होनी चाहिए, कृपया संदेश पढ़ें और तदनुसार कार्य करें।

- यदि बी0यू0 या सी0यू0 या वी0वी0पैट काम नहीं कर रहे हैं, तो संबंधित इकाई को केवल प्रतिस्थापित करें अर्थात–

(i) यदि बी0यू0 गैर–कार्यात्मक है, तो केवल बी0यू0 को बदलें।

(ii) यदि सी0यू0 गैर–कार्यात्मक है, तो केवल सी0यू0 को प्रतिस्थापित करें।

(iii) यदि वी0वी0पैट गैर–कार्यात्मक है, तो केवल वी0वी0पैट को प्रतिस्थापित करें।

<u>क्या नहीं करना है?</u>

1. कम से कम 50 वोट डाले बिना मॉक पोल बंद न करें।
2. सी0यू0 से मॉक पोल डेटा को साफ किए बिना और वी0वी0पैट के ड्रॉप बॉक्स से मॉक वी0वी0पैट पर्चियों को हटाए बिना वास्तविक मतदान शुरू न करें।
3. वी0वी0पैट मॉक पोल स्लिप को बिना मुहर के न रखें।
4. मॉक पोल के दौरान सी0यू0 को स्विच ऑफ और ऑन न करें।
5. मॉक पोल के दौरान केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट न करें।

<u>मॉक पोल के बाद सी0यू0 और वी0वी0पैट की सीलिंग</u>:–

1–सी0यू0 को (**A, B**) ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग और एड्रेस टैग के साथ सील करें और उन पर पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें।

ग्रीन पेपर सील लगाना

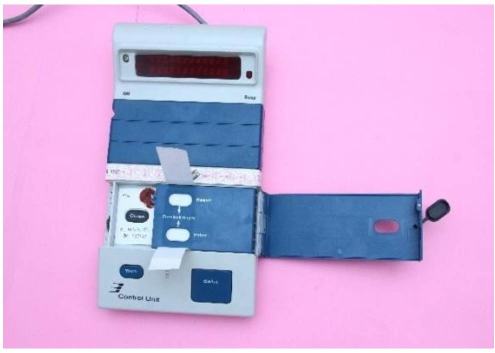

आन्तरिक परिणामी सेक्शन को स्पेशल टैग के साथ सील करना

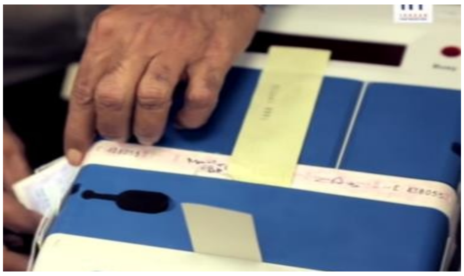

वाह्य परिणामी सेक्शन को एड्रेस टैग के साथ सील करना

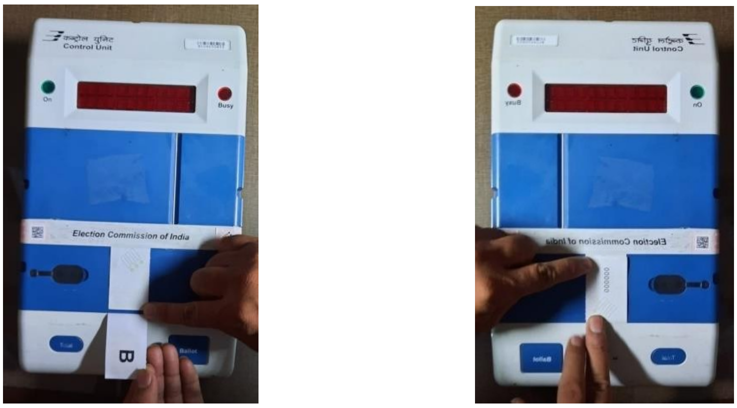

ग्रीन पेपर सील चिपकाना

2. एड्रेस टैग के साथ वी0वी0पैट के ड्रॉप बॉक्स को सील करें और पोलिंग एजेंटों को भी उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।

वी0वी0पैट के ड्राप बाक्स को एड्रेस टैग के साथ सील करना

वास्तविक मतदान की शुरुआत–

1. **CU** को स्विच ऑन करें।
2. शून्य वोट की पुष्टि करने और मतदान एजेंटों को दिखाने के लिए **CU** का **TOTAL** बटन दबाएं।
3. फॉर्म 17 ए (मतदाताओं के लिए रजिस्टर) में पहले मतदाता के हस्ताक्षर करने से पहले, मतदान अधिकारी–1 पीठासीन अधिकारी के साथ जांच करेगा और फॉर्म 17ए में **INK** में रिकॉर्ड करेगा कि ''नियंत्रण इकाई में कुल जांच की गई और शून्य पाया गया''।

वास्तविक मतदान के लिए प्रतिस्थापन प्रोटोकॉलः बी0यू0, सी0यू0 और वी0वी0पैट के लिए सभी ''त्रुटि'' मैसेज केवल सी0यू0 पर प्रदर्शित की जाएगी। कृपया संदेश पढ़ें और तदनुसार कार्य करें।

- यदि बी0यू0 या सी0यू0 काम नहीं कर रहा है, तो बी0यू0, सी0यू0 या वी0वी0पैट के पूरे सेट को बदल दें। पूरे सेट के प्रतिस्थापन के मामले में, नोटा सहित प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 01 वोट देकर फिर से मॉक पोल आयोजित किया जायेगा। मॉक पोल प्रक्रिया का पालन करें जिसमें सी0यू0 से मॉक पोल वोट को साफ करना और मॉक पोल वी0वी0पैट पर्चियों को हटाना आदि शामिल है। अलग मॉक पोल प्रमाण पत्र भी बनायें।
- यदि केवल वी0वी0पैट कार्य नहीं कर रहा है तो केवल ''वी0वी0पैट बदले''। तथा इसमें किसी मॉक पोल की आश्यकता नहीं है।
- यदि सी0यू0 में ''वी0वी0पैट का पावर पैक बदलें'' का त्रुटि मैसेज दिखाता है, तो सी0यू0 को बंद कर दें और केवल वी0वी0पैट का पावर पैक बदलें। किसी मॉक पोल की आश्यकता नहीं है।
- यदि सी0यू0 में ''सी0यू0 का पावर पैक बदलें'' का त्रुटि मैसेज दिखाता है, तो सी0यू0 को बंद कर दें और केवल सी0यू0 का पावर पैक बदलें तथा सी0यू0 के पावर पैक डिब्बे को सील करें। किसी मॉक पोल की आश्यकता नहीं है। तथा पीठासीन द्वारा भाग–2 प्रमाण पत्र अवश्य भरें।

क्या नहीं करना हैः–

- जब तक वास्तविक मतदान चल रहा हो तो सी0यू0 को बंद और चालू न करें।
- वास्तविक मतदान के दौरान केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट न करें।
- जब केवल वी0वी0पैट या सी0यू0/वी0वी0पैट/बी0यू0 के पावर पैक को बदला जाता है तो मॉक पोल न करें।

मतदान प्रक्रिया का समापनः–

- सी0यू0 का **CLOSE** बटन दबाएं।
- सी0यू0 को बंद करें मतपत्र लेखा 17सी सावधानी से भरें।
- बी0यू0 के केबल को वी0वी0पैट से और वी0वी0पैट केबल को सी0यू0 से डिस्कनेक्ट करें।
- वी0वी0पैट से पावर पैक (बैटरी) निकालें।
- संबंधित कैरिंग केस में बी0यू0, सी0यू0 और वी0वी0पैट रखें।
- प्रत्येक कैरिंग केस को एड्रेस टैग के साथ सील करें और उन पर मतदान एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त करें तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा भाग–3 अवश्य भरा जायेगा।

क्या नहीं करना हैः–

- अधिसूचित मतदान समाप्ति के समय या मतदान पूरा होने से पहले सी0यू0 का **CLOSE** बटन न दबाएं।
- सी0यू0 को स्विच ऑफ किए बिना केबल न काटें।
- मतदान पूरा होने के बाद वी0वी0पैट में वी0वी0पैट का पावर पैक बैटरी न छोड़ें।
- मतदान के बाद पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना सामग्री को ले जाने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
- संग्रह केंद्र में मतदान सामग्री जमा करने के लिए अधिकृत वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहन का उपयोग न करें।